



# राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता



क्रमांक-प.19 ( )WE/WSHGI/BA120/IMSUPY/विविध/2019-20/ 2592 दिनांक : 21.1.2021  
बैठक सूचना

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में महिला अधिकारिता, उद्योग विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की दिनांक 02.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे मीटिंग हॉल, निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर में आयोजित होने वाली की संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस की तिथि में परिवर्तन करते हुए अब यह वी.सी. दिनांक 27.01.2021 को प्रातः 11:00 बजे MS Team Software के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिस हेतु लिंक आपके ईमेल पर भिजवाया जा रहा है। वी.सी. में निम्नलिखित अधिकारी भाग लेने का श्रम करें-

1. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
2. राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर।
3. समस्त बैंकों के राज्य स्तरीय कंट्रोलिंग हेड ।
4. अतिरिक्त निदेशक, एस.एच.जी., महिला अधिकारिता, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, जयपुर।
5. जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, समस्त जिले।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त जिले।
7. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त जिले।
8. अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त जिले।

उद्योग विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर द्वारा अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी कराने की कार्यवाही की जानी है। उक्त वी.सी. में महिला अधिकारिता द्वारा संचालित इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन व प्रगति तथा माह फरबरी, 2021 के प्रथम सप्ताह को महिला सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में मनाते हुए अधिकाधिक महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने बाबत चर्चा की जाएगी।

संलग्न- बैठक एजेन्डा बिन्दु।

( रश्मि गुप्ता )

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19 ( )WE/WSHGI/BA120/IMSUPY/विविध/2019-20/ 2593-2632 दिनांक : 21.1.2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरि. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वी.सी. में भाग लेने के साथ तथा समस्त बैंकों के राज्य स्तरीय कंट्रोलिंग हेड, जिलों के जिला अग्रणी प्रबंधकों को वी.सी. में भाग लेने हेतु निर्देश प्रदान करावें।
6. अतिरिक्त निदेशक, एस.एच.जी., महिला अधिकारिता, जयपुर।
7. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ. समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर वी.सी. में भाग लेना सुनिश्चित करें।
8. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्या. को वी.सी. में भाग लेने व बैठक से संबंधित कार्यवाही तथा बैठक सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अति० निदेशक, एसएचजी.

पता : जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर | दूरभाष : 0141-2716418  
Website : www.wcd.rajasthan.gov.in | Email : shgcell.we@rajasthan.gov.in



# राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता



दिनांक 27.01.2021 को प्रातः 11.00 बजे महिला अधिकारिता, उद्योग विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु बैठक एजेन्डा बिन्दु निम्नानुसार है-

1. इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पर चर्चा।
2. इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा।
3. माह फरबरी, 2021 के प्रथम सप्ताह को महिला सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में मनाने पर चर्चा।
4. जिला अधिकारियों से योजना के क्रियान्वयन पर आ रही समस्याओं पर चर्चा व सुझाव।
5. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर चर्चा।
6. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा।
7. उक्त दोनों योजना से अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने हेतु राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के साथ समन्वय पर चर्चा।